

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-53 / 2012संस्थित दिनांक-13.02.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मातादीन पुत्र कप्तानसिंह गुर्जर उम्र 63 साल
 2. हरवीर पुत्र मातादीनसिंह गुर्जर उम्र 31 साल
 3. नारायणी पत्नी मातादीनसिंह गुर्जर उम्र 57 साल
- निवासीगण ग्राम पिपाहडा थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 12.09.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 174 क के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.09.11 को शाम 5 बजे ग्राम पिपाहडा थाना मौ जिला भिण्ड में थाना मौ के अप0क्र0 142/11 धारा 304 बी, 498ए सहपठित धारा 34 में न्यायालय द्वारा उनकी उपस्थिति हेतु उदघोषणा जारी होने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना मौ के अप0क्र0 142/11 अंतर्गत धारा 304 बी, 498 ए, 34 भादवि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण मातादीन, हरवीर तथा नारायणी के उपस्थिति से बचने के प्रयास के कारण न्यायालय जेएमएफसी गोहद के समक्ष धारा 82 दप्रस की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जहां से अभियुक्तगण के विरुद्ध उदघोषणा जारी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु तिथि नियत की गयी किन्तु उक्त दिनांक को अभियुक्तगण उप0 नहीं हुए। इसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोहद के द्वारा थाना प्रभारी मौ को अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे थाना मौ के अप0क्र0 194/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान न्यायालय की आदेशिकाओं तथा आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रति ली गयी, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने

अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया तथा यह भी कथन किया कि पुलिस ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी और वे अग्रिम जमानत की कार्यवाही करा रहे थे।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्तगण ने 23.09.11 को शाम 5 बजे ग्राम पिपाहडा थाना मौ जिला भिण्ड में थाना मौ के अप0क0 142/11 धारा 304 बी, 498ए सहपठित धारा 34 में न्यायालय द्वारा उनकी उपस्थिति हेतु उद्घोषणा जारी की गयी ?

2. क्या अभियुक्तगण उक्त उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजवीर शर्मा अ0सा0 1, वीरेन्द्र अ0सा0 2, रामौतार अ0सा0 3, रामजीलाल अ0सा0 04, चेताराम मीना अ0सा0 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

—::विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष ::—

6. राजवीर अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.08.11 को वे थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ थे। उन्हें एसडीओपी गोहद कार्यालय से अप0क0 142/11 की केस डायरी अभियुक्तगण के धारा 82 दफ्तर के अंतर्गत इशतिहार जारी कराने हेतु प्राप्त हुई थी। उसी दिनांक को उन्होंने न्यायालय जेएमएफसी गोहद के न्यायालय से इशतिहार जारी कराए थे जो प्रपी0 1 लगा0 3 के रूप में बताते हुए उसकी आदेश पत्रिका प्र0पी0 4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। साक्षी द्वारा प्रकरण में प्र0पी0 1 लगायत 3 की अभियुक्तगण की उद्घोषणाओं की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त की गयी जिसके अनुसार दिनांक 25.08.11 को अभियुक्तगण के अप0क0 142/11 में फरार होने के कारण न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी करते हुए दिनांक 23.09.11 को न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण को उपस्थित रखने हेतु आदेशित किया जाना प्र0पी0 4 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है। अभियुक्तगण की ओर से इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.11 को कोई उद्घोषणा अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी नहीं की गयी, बल्कि यह बचाव लिया है कि उन्हें अभिकथित उद्घोषणा की कोई सूचना नहीं थी। उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य उपरोक्त अखण्डनीय अभिसाक्ष्य तथा प्रपी0 4 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति से प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 23.09.11 को अभियुक्तगण को न्यायालय श्री मनीष शर्मा, जेएमएफसी गोहद के न्यायालय में उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की गयी थी। जहां तक उद्घोषणा की जानकारी अभियुक्तगण को थी या नहीं अथवा अभियुक्तगण को उसकी संसूचना आवश्यक थी या नहीं, यह विवेचन आगे के पदों में किया जावेगा।

--:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष :-

7. राजवीर शर्मा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि प्र0पी0 1 लगायत 3 की उद्घोषणा इशतिहार उनके द्वारा दिनांक 26.08.2011 को अभियुक्तगण के ग्राम पिपाहडा जाकर तामील कराए थे। प्र0पी0 1 लगायत 3 के पृष्ठ पर तामील उपरांत प्रतिवेदन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उक्त इशतिहार तामील उपरांत एसडीओपी गोहद को दे दिए जाने के संबंध में कथन करते हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तथ्य चुनौती विहीन रहा है कि थाना मौ के अप0क0 142/11 में उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा उक्त अपराध में वे वांछित थे। जहां राजवीर शर्मा अ0सा0 1 प्र0पी0 1 लगायत 3 के न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणाएं दिनांक 26.08.11 को ग्राम पिपाहडा में जाकर प्रकाशित कराए जाने के संबंध में कथन करते हैं और प्र0पी0 1 लगायत 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उनके संबंध में प्र0पी0 1 लगायत 3 के साक्षी वीरेन्द्र अ0सा0 2 व रामौतार अ0सा0 3 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी प्र0पी0 1 लगायत 3 पर अपने हस्ताक्षरों को किया जाना स्वीकार करते हैं किन्तु पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने और कथन लिए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। अभियुक्तगण का यह तर्क है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्र0पी0 1 लगायत 3 की उद्घोषणा का प्रकाशन प्रमाणित नहीं किया है ऐसे में अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं होता है।

8. प्रकरण में प्र0पी0 1 लगायत 3 के संबंध में एसआई राजवीर शर्मा अ0सा0 1 द्वारा दिनांक 26.08.11 को ग्राम पिपाहडा में प्रकाशन का कथन किया गया है। यद्यपि उक्त साक्षी वीरेन्द्र अ0सा0 2 एवं रामौतार अ0सा0 3 ने कथित प्रकाशन से इंकार किया है किन्तु प्र0पी0 1 लगायत 3 पर अपने हस्ताक्षरों को अवश्य स्वीकार किया है। साक्षीगण द्वारा अभिकथित हस्ताक्षरों को थाने पर पुलिस के कहने पर कर दिए जाने का कथन किया है, जबकि यदि साक्षियों की जानकारी के बिना उनके हस्ताक्षर प्र0पी0 1 लगायत 3 पर लिए गए तो उनके द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी हो या किसी न्यायालय में परिवाद पेश किया हो अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की हो, इस संबंध में कोई भी तथ्य स्पष्टीकरण के रूप में साक्षियों ने नहीं बताया है। ऐसी दशा में राजवीर अ0सा0 1 के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास का आधार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि साक्षी राजवीर अ0सा0 1 द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही करने का कोई भी उचित स्पष्टीकरण प्रतिपरीक्षण में नहीं दिया गया है। ऐसे में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सही रूप से किए जाने के लिए न्यायालय को उपधारणा करने का आधार उत्पन्न करती है।

9. जहां तक प्रकरण में प्र0पी0 1 लगायत 3 की अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है तो प्रकरण में न्यायालय श्री मनीष शर्मा, जेएमएफसी गोहद की आदेश पत्रिका दि0 23.09.11 की प्रमाणित प्रति प्र0पी0 10 के रूप में संलग्न की गयी है जिसे चेताराम मीना अ0सा0 5 तत्कालीन

थाना प्रभारी मौ द्वारा प्रदर्शित कराया गया है। उक्त प्र0पी0 10 की आदेश पत्रिका में उल्लेख है कि "केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा 82 की कार्यवाही किए जाने के उपरान्त भी आरोपीगण गिरफ्तारी से बच रहे हैं एवं जानबूझकर न्यायालय में, न ही पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी दशा में धारा 83 दप्रस के अधीन अभियुक्तगण की चल अचल संपत्ति को अटैच किए जाने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस कार्यवाही करे।" इस प्रकार से उपरोक्त प्र0पी0 10 के दस्तावेज न्यायालय की आदेश पत्रिका में इस तथ्य की संतुष्टि की गयी है कि अभियुक्तगण प्रकरण में उपस्थिति से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम **दप्रस की धारा 82 की उपधारा 3** उल्लेखनीय हैं जो उपबंध करती है कि—

"उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खण्ड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गयी है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गयी थी।"

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का "लिखित कथन" इस बात का निश्चायक साक्ष्य होता है कि उक्त धारा के अधीन जिस व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जारी की गयी है, उसके संबंध में धारा में उपबंधित "सम्यक रूप से प्रकाशित" कर दिया गया है। इस प्रकार से जहां प्र0पी0 10 की आदेश पत्रिका स्वयं में अभियुक्तगण की उद्घोषणा के सम्यक प्रकाशन का निश्चायक साक्ष्य है। ऐसी दशा में उक्त निश्चायक साक्ष्य के संबंध में अभियुक्तगण का बचाव सारहीन हो जाता है। अतः यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि थाना मौ के अप0क0 142/11 में उपस्थिति हेतु उद्घोषणा अभियुक्तगण के संबंध में जारी की गयी थी, जिसके पालन में अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे।

10. अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 174 क के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
12. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए एवं न्यायालय की आदेशिका से बचने का प्रयास देखते हुए परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/—

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

13. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण एक ही परिवार के होने एवं अप0क0 142/11 में दोषमुक्त हो जाने का तथ्य बताते हुए यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त मातादीन एवं नारायणी की आयु लगभग 65 वर्ष है अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

14. अभियुक्तगण के संबंध में विचारण करीब 5 वर्षों से लंबित है एवं अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं, अभियुक्तगण के मूल अप0क0 142/11 में प्र0डी0 1 के निर्णय के अनुसार दोषमुक्त किए जा चुकने का तथ्य अभिलेख पर है। साथ ही यह भी अभिलेख पर है कि अभियुक्त मातादीन एवं नारायणी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, जबकि अभियुक्त हरवीर नवयुवक है। किन्तु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय से उपस्थिति हेतु उदघोषणा जारी होने पर भी उपस्थित नहीं हुए साथ ही प्रारंभिक अन्वेषण में सहयोग नहीं किया। ऐसी दशा में उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं मूल अपराध में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने के तथ्य को विचार में लेते हुए अभियुक्तगण को संहिता की धारा 174 क के अधीन 3-3 माह के साधारण कारावास तथा 300-300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

15. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कोई नहीं।

16. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

17. अभियुक्तगण की निरोधावधि यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश